रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092026-276542
CG-DL-E-28092026-276542

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5027]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948
No. 5027]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948

कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एंव किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2026

का.आ. 5234(अ).— केंद्रीय सरकार ने, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एंव किसान कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3800(अ), तारीख 10 जुलाई, 2026 द्वारा पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के विनिर्माण, आयात, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिषिद्ध करने के अपने आशय की घोषणा करने वाला आदेश प्रकाशित किया था और उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी गयी थीं, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 13 जुलाई, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त आदेश के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और उक्त अधिनियम के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर

कि पैराक्वॉट डाइक्लोराइड का उपयोग मानवों और पशुओं के लिए जोखिमपूर्ण है और ऐसी स्थिति है कि तत्काल कार्रवाई करना समीचीन या आवश्यक हो गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

आदेश

(1) इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिषेध होगा।

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 9 के अधीन पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के लिए अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से रद्द माना जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण समिति पैराक्वॉट डाइक्लोराइड के लिए अनुदत्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को वापस मंगाएगी और यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र वापस करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

(4) राज्य सरकारें राज्य में इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए अधिनियम और तदाधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे कदम उठाएंगी, जिन्हें वे उचित समझें।

[फा. सं. 12078/01/2023-पीपी-I]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2026

S.O. 5234(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) published an order for declaring its intention to prohibit the manufacture, import, transport, distribution, sale, and use of Paraquat Dichloride vide notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare number S.O. 3800(E), dated 10th July, 2026 and invited objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th July, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Committee constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of Paraquat Dichloride involves risk to human being and animals as to render it expedient or necessary to take immediate action, hereby makes the following Order namely:-

Order

(1) There shall be a prohibition on the registration of Paraquat Dichloride from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

(2) The certificate of registration for Paraquat Dichloride granted under section 9 of the Insecticides Act, 1968 shall stand cancelled from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

(3) The Registration Committee shall call back the certificate of registration granted for Paraquat Dichloride and if any person fails to return the certificate of registration, action shall be taken against him under the provisions of the Act.

(4) The State Governments shall take such steps under the Act and the rules made thereunder, as it may deem fit for implementation of the Order in the State.

[F. No. 12078/01/2023-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.28 12:25:12 +05'30'